न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 610/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
सुजाराम पुत्र तुलछाराम के का0मुकाम–– 1. किशनाराम पुत्र स्व0 सुजाराम 2. अमरू पत्नी स्व0 किशनाराम जातियान– विश्नोई निवासी–लाखोनाई नाडी, मीठडा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर।		1. चनणाराम पुत्र कानाराम 2. पूनमाराम पुत्र कानाराम 3. सुरताराम पुत्र उदाराम 4. किशनाराम पुत्र सुजाराम 5. बीरमाराम पुत्र उदाराम 6. नारणाराम पुत्र मंगलाराम 7. किशनाराम पुत्र मंगलाराम 8. राजूराम पुत्र मंगलाराम 9. धनी पत्नी मंगलाराम 10. रामाराम पुत्र जयकिशन 11. आयचुकी पत्नी जयकिशन 12. पांचाराम पुत्र भारमलराम 13. बालूराम पुत्र भारमलराम जातियान– विश्नोई निवासी–लाखोनाई नाडी, मीठडा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर। 14. हरिराम पुत्र कानाराम जातियान–विश्नोई निवासी–लाखोनाई नाडी, मीठडा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर। 15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना, जिला बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2016 अनवान चनणाराम वगैराह बनाम सुरताराम वगैराह दिनांक 05.02.2019 को पारित किया गया

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से ।
2– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 15 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 5 जनवरी, 2024

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्यार्थी संख्या 1,2 ने धारा 111, 128 राज0 भू– राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि उनकी खातेदारी की खेत खसरा संख्या 517/4 रकबा 51.15 बीघा भूमि आई हुई है। जिसके पडौस में अपीलार्थीगण व अन्य खातेदारों के खेत आये हुए है। जो सीमाओं व कणे–माठ को खुर्द बुर्द करना चाहते है जिसकी पैमाइश हेतु शुल्क जमा कराया गया। दिनांक 5.6.2016 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमांकन किया गया तथा पैमाइश रिपोर्ट पेश की गई, परन्तु पडौसी खातेदारी सहमत नहीं होने से पत्थरगढी हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों की मौजूदकी में ख0सं0 517/4 भूमि के चारों तरफ स्थाई पक्के नेखमबन्दी के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय/आदेश विधि एवं कानून के खिलाफ होने से काबिले खारिज करने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111,128 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया है। इसके अतिरिक्त बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखमबन्दी नहीं की जा सकती है, इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट के अभाव में आलौच्य आदेश पारित किया है जबकि बिना सीमाज्ञान के पत्थरगढी नही की जा सकती और न ही पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्त के तहत राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है इसके बावजूद भी राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश पारित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के पिता व पति की गलत रूप से गलत पते पर तामील करवाते हुए एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि अपीलार्थीगण का निवासी– ग्राम लाखोनाई नाडी है न कि ग्राम कातरला। अधीनस्थ न्यायालय की ओर से जारी नोटिस पर गलत रूप से तामीली रिपोर्ट करवाई गई है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान श्री सुजाराम का देहान्त हो गया जिनके वारिसानों को पक्षकार बनाये बिना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस पत्थरगढी की आड में कब्जा व मौके

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पर परिवर्तन करना चाहते है जो किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की तामील विधिवत करवाये बिना ही तथा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 7.11.2022 को पटवारी हल्का मौके पर आये तथा पत्थरगढी आदेश के बारे में बताया तब अपीलार्थी दिनांक 7.11.2022 को ही उपखण्ड कार्यालय में गये तथा अधिवक्ता के माध्यम से नकल हेतु आवेदन कर नकले प्राप्त की तब उन्हें आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अन्त में यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे एवं दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि दो गांवों की सीमा पर स्थित होने के कारण सेटलमेन्ट से मौके पर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त पुनः पत्थरगढी की कार्यवाही नियमानुसार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 517/4 रकबा 51.15 बीधा भूमि की सीमाओं का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार, धोरीमन्ना के समक्ष आवेंदन किया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.6.2016 को सीमाज्ञान करवाकर मौके पर सीमाचिन्ह स्थापित किये गये थे परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा अपने परिवार से मिलकर सीमाचिन्ह बिखेरकर अवैध कब्जा करने पर आमदा है। इस हेतु उनके द्वारा पक्की नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार से निवेदन किया परन्तु विवाद होने की स्थिति के कारण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन हेतु आवेदन किया गया।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की ग्राम लाखोनाई नाडी तहसील धोरीमन्ना के ख0सं0 517/4 रकबा 51.15 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत के पडोस में अप्रार्थीगण/अपीलान्टस की भूमि आई हुई है। रेस्पोडेन्टस व अपीलान्टस के खेतों के मध्य किसी प्रकार की कोई पक्की माठे तथा सीमाचिन्ह नहीं होने के कारण काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढो के सम्बन्ध में तनाव व विवाद बना रहता है तथा अप्रार्थीगण जबरन उनकी भूमि में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

हस्तक्षेप कर काश्त कर लेते है। अतः उक्त विवाद से बचने के लिये वे उपरोक्त भूमि की सीमाओं पर पक्की नेखबन्दी करवाना चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिसमें अप्रार्थीगण की तामीली पूर्ण करवाई गई परन्तु रेस्पो0 संख्या 3 व 5 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण तामील करने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे और न ही कोई जवाब पेश किया गया। तथा अप्रार्थी/अपीलान्ट सुजाराम को जारी नोटिस भी तामील होकर प्राप्त हुआ जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उन्हें जारी नोटिस की पुश्त पर तामीली कुनिन्दा की रिपोर्ट एवं अंगुष्ठ निशान के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है तथा एक ही व्यक्ति के दो अलग–अलग समय में अलग–अलग पते हो सकते है। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा यह कहा जाना कि उनको नोटिस गलत पते पर तामील करवाया और गलत रिपोर्ट तैयार करके एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी, मानने योग्य नहीं है

इसके अतिरिक्त वादग्रस्त प्रकरण में अन्य किसी पक्षकार व्यक्ति की ओर से अपीलाधीन आदेश बाबत विरोध अथवा ऑब्जेक्शन नहीं किया और न ही कोई अपील पेश की गई है, मात्र अपीलान्ट के द्वारा यह अपील इस आधार पर लाई गई है कि प्रकरण के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान उनके पिता सुजाराम की मृत्यु हो गई थी और एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है, वो विधि अनुरूप नहीं है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि जब प्रकरण में संस्थित किसी पक्षकार/खातेदार को नोटिस प्रथम बार तामील होकर प्राप्त हो जाता है तो उसे प्रकरण के विचाराधीन होने की जानकारी अवश्य रहती है तथा विचारण के दौरान उस पक्षकार की मृत्यु होने की जानकारी देने का दायित्व उनके वारिसान का हो जाता है। परन्तु अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने की सूचना उनके वारिसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दी गई न ही पक्षकार बनाये जाने हेतु कोई आवेदन किया गया। ऐसे में बिना सूचना व ज्ञान न होने के कारण किस आधार पर उनके वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती थी तथा प्रकरण में अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 के तहत नाम कायमी की कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं थी।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी दोनों पक्षों की मौजूदगी में किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार धोरीमन्ना की ओर से मौके पर दिनांक 7.11.2022 को अन्तिम नेखमबन्दी की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है, जिससे अपीलान्ट की यह अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपीलार्थीगण की अपील

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से मनन किया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अपने खातेदारी वाले खेत ख0सं0 517/4 रकबा 51.15 बीघा भूमि सीमाओं पर पक्की नेखबन्दी करवाने हेतु आवेदन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाना प्रकट है जिसमें अपीलान्ट के पिता सुजाराम को भी जारी नोटिस की पुश्त पर नोटिस तामील करते हुए अंगुष्ठ निशान किये गये है। ऐसे में वादग्रस्त भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दर्ज होने की जानकारी उन्हें रही है। इसके अतिरिक्त यदि अपीलान्ट के पिता का देहान्त विचारण के दौरान हो गया था तो उनके वारिसान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकार की जानकारी देते हुए पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन करना था, बिना जानकारी के अभाव में अथवा सूचना के अभाव में न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को मृत कैसे मान सकते है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की दिनांक 7.11.2022 का अन्तिम नेखबन्दी की कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट प्रेषित होना भी प्रकट होता है। एकमात्र अपीलान्ट के द्वारा उक्त आधार पर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश किया जाना तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त करवाने हेतु अनुतोष चाहा है जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश में किस प्रकार की विधिक त्रुटि अथवा कमी रही है तथा अपीलाधीन आदेश से मौके पर अपीलार्थीगण को क्या हानि होनी संभावित है यह तथ्य अपीलान्ट अपनी अपील में दर्शाने में असफल रहे है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त समस्त तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त अपीलान्टस की अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2019 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 05 जनवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर